झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश सं0–2ए/आरोप–01–44/2009 का0 –............ /   राँची, दिनांक..............2012

श्री अवधेश उपाध्याय, झा0प्र0से0, सम्प्रति निदेशक, डी0आर0डी0ए0, प0 सिंहभूम, चाईबासा को निर्वाचन कार्यों में शिथिलता बरतने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने, सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन के प्रति उदासीनता बरतने पद पर बने रहने के कारण निर्वाचन कार्य में दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना के मद्देनजर असैनिक सेवायें नियमावली के नियम– 49 (ए) के अंतर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक 8020, दिनांक 09.12.2009 के द्वारा निलंबन किया गया ।

विभागीय आदेश सं0–4572, दिनांक 05 अगस्त 2011, के द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया । तदुपरांत विभागीय संकल्प सं0–5309, दिनांक 05.09.2011 के द्वारा श्री उपाध्याय को दो वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक लघुदण्ड अधिरोपित किया गया है।

चूँकि, प्रतिवेदित आरोप हेतु श्री उपाध्याय को दण्डित किया जा चुका है। अतः उनके निलंबन अवधि दिनांक 09.12.2009 से0 05.08.2011 तक का झारखण्ड सेवा संहिता के नियम– 97 अंतर्गत निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :–

(1) निलंबन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
(2) उक्त अवधि की गणना (दिनांक 09.12.2009 से दिनांक 05.08.2011 तक) पेंशन प्रदायी सेवाओं के लिए की जाएगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2ए/आरोप–01–44/2009 का0 –............ /   राँची, दिनांक..............2012

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवययक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–2ए/आरोप–01–44/2009 का0 –10113 /   राँची, दिनांक 1/9/ 2012

प्रतिलिपि– राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/विभागीय प्रधान सचिव, कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।